राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.10(43)नविवि/3/2000 **जयपुर, दिनांक** 10/01/2022

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अधीन बनाये गये राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम, 1962 के नियम 4 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण में विभागीय अधिसूचना क्रमाकः प.10(43)नविवि/3/2000 दिनांक 12.11.2003 द्वारा अधिसूचित बाडी के नगरीय क्षेत्र के लिए तैयार किये गये मास्टर प्लान–2023 का अनुमोदन किया जाकर जारी किया गया था।

नगर पालिका बाड़ी द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित संशोधनों एवं आमजन से प्राप्त आपत्ति/सुझावों के क्रम में राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 7 के अनुसरण में यह नोटिस दिया गया है कि बाड़ी के नगरीय क्षेत्र अनुमोदित मास्टर प्लान–2023 (संशोधित) का अनुमोदन कर दिया गया है।

उक्त मास्टर प्लान–2023 में किये गये संशोधन का अवलोकन कार्यालय नगर पालिका, बाडी में सभी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान किया जा सकता है। यह मास्टर प्लान–2023 (संशोधित) नगरीय विकास विभाग के वेबसाईट www.urban.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध रहेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से

10/1/2022

(नवनीत कुमार)
संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. जिला कलक्टर, धौलपुर।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान जयपुर।
7. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, बाड़ी।
8. वरिष्ठ नगर नियोजक, जयपुर जोन, जयपुर।
9. उप नगर नियोजक, भरतपुर क्षेत्र, भरतपुर।
10. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक......................में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय